दिनांक–21.04.2026 को ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में ईख विकास केन्द्र संचालित करने से संबंधित समीक्षा हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंगक (VC) के माध्यम से आहूत बैठक की कार्यवाही।

समय :– 03:00 बजे अपराह्न।

उपस्थिति :– श्री गौतम पटेल, सहायक निदेशक, ईख विकास/श्री मनोज कुमार चौधरी, सहायक निदेशक, ईख विकास/श्री कमलकांत यादव, सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी क्षेत्रीय सहायक निदेशक, ईख विकास।

ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में बैठक प्रारम्भ हुई।

बैठक में सभी सहायक निदेशक, ईख विकास को बंद पड़ी ईख विकास केन्द्र को चालू कराने से संबंधित सुझाव/मंतव्य हेतु निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया जो भी बंद पड़ी ईख विकास केन्द्र पर कृषि यंत्र आदि (जो उपयोग हेतु नहीं है) उसे नीलामी की प्रक्रिया अविलम्ब की जाय।

सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत दो ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में बंद है, जिसे चालू कराने हेतु ईख विकास केन्द्र पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, एम॰टी॰एस॰ आदि कर्मियों की आवश्यकता है। साथ ही सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी द्वारा ईख विकास केन्द्र चालू करने हेतु कार्यालय मद में आवंटन की मांग की गयी।

सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत 11 ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में 10 केन्द्र बंद है एवं 01 ईख विकास केन्द्र, सेमरा चालू है, जो भाड़े के मकान में अवस्थित है जिसका 450 रू० प्रति माह किराया के रूप में भुगतान किया जा रहा है। बंद पड़ी ईख विकास केन्द्र हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, एम॰टी॰एस॰ आदि कर्मियों की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत 03 ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में बंद है, जिसे चालू कराने हेतु ईख विकास केन्द्र पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, एम॰टी॰एस॰ आदि कर्मियों की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत 10 ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में बंद है, जिसे चालू कराने हेतु प्रत्येक ईख विकास केन्द्र पर 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं 02 एम॰टी॰एस॰ कर्मी की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा के द्वारा किसी भी ईख विकास केन्द्र के संबंध में जानकारी नहीं दी गयी।

सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत 02 ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में बंद है, जिसे चालू कराने हेतु प्रत्येक ईख विकास केन्द्र पर 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं 02 एम॰टी॰एस॰ कर्मी की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत 09 ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में बंद है, जिसे चालू कराने हेतु प्रत्येक ईख विकास केन्द्र पर 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं 02 एम॰टी॰एस॰ कर्मी की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत 07 ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में 04 केन्द्र बंद है एवं 03 ईख विकास केन्द्र, रामनगर, साहेबगंज एवं झपहा चालू है, जो भाड़े के मकान में अवस्थित है जिसका प्रति माह किराया भुगतान किया जा रहा है। बंद पड़ी ईख विकास केन्द्र हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, एम॰टी॰एस॰ आदि कर्मियों की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत 03 ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में बंद है। सहायक निदेशक, ईख विकास, आरा के द्वारा कैमूर जिला में 01 ईख विकास केन्द्र की स्थापना करने की मांग की गयी है। बंद पडे ईख विकास केन्द्र को चालू कराने हेतु प्रत्येक ईख विकास केन्द्र पर 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं 02 एम॰टी॰एस॰ कर्मी की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत 06 ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में बंद है, जिसे चालू कराने हेतु प्रत्येक ईख विकास केन्द्र पर 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं 02 एम॰टी॰एस॰ कर्मी की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया, प॰ चम्पारण के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत 06 ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में बंद है, जिसे चालू कराने हेतु प्रत्येक ईख विकास केन्द्र पर 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं 02 एम॰टी॰एस॰ कर्मी की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर के द्वारा बताया गया कि पूर्व से स्वीकृत 03 ईख विकास केन्द्र जो वर्तमान में बंद है, जिसे चालू कराने हेतु प्रत्येक ईख विकास केन्द्र पर 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं 02 एम॰टी॰एस॰ कर्मी की आवश्यकता है।

अंत में सभी सहायक निदेशक, ईख विकास को बंद पड़ी ईख विकास केन्द्र को चालू कराने से संबंधित अपना मंतव्य/सुझाव/प्रस्ताव दिनांक–27.04.2026 तक संलग्न विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/बजट–810/2026– 818/ई०का० /पटना, दिनांक– 22 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक/सभी क्षेत्रीय सहायक निदेशक, ईख विकास/मुख्यालय के सभी सहायक निदेशक, ईख विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/बजट–810/2026– 818/ई०का० /पटना, दिनांक– 22 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि–आई॰ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

विहित–प्रपत्र

कार्यालय का नाम :

क्रमांक	ईख विकास केन्द्र का नाम एवं संख्या	वर्तमान स्थिति		सुझाव/मंतव्य	अभ्युक्ति
		चालू	बंद		
1	2	3	4	5	6

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर मुहर सहित